

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक 304 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/05/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 290/अजिद/एस.डब्ल्यू/2020 रायपुर, दिनांक 08.05.2020 के तहत दिनांक 17 मई 2020 के पश्चात् आने वाले माह मई के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार प्रातः 6.00 बजे तक या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सप्ताह के अंत में लगाया गया सम्पूर्ण लॉकडाउन रद्द किया जाता है। इसलिए इस शनिवार एवं रविवार को कोई सम्पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा।
2. ऐसी दुकाने और प्रतिष्ठान सामान्य दिनों की तरह सप्ताह में 06 दिन खुलेंगे एवं पूर्व की भांति सप्ताहिक अवकाश के 01 दिन बंद रहेगी।

उपरोक्त आदेश एवं समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर(छ0ग0)

रायपुर, दिनांक 29/05/2020

क्रमांक 304 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं पविार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. उप संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर(छ0ग0)